प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 11.09.2020 जनपद देवरिया

जनपदीय पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़, 02 अभियुक्त गिरफ्तार, भारी मात्रा में अवैध शस्त्र व उपकरण बरामद

दिनांक 10.09.2020 को प्रभारी निरीक्षक रूद्रपुर मय पुलिस टीम एवं प्रभारी एसओजी टीम देवरिया मय पुलिस टीम के साथ वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु क्षेत्र में भ्रमणशील रहते हुए रामलक्षन चौराहे पर मौजूद थे कि मुखबिर की सूचना पर करिहवां पुल के पास से एक व्यक्ति को पकड़ा गया जिसके द्वारा अपना नाम पता सोहन विश्वकर्मा पुत्र रामप्रीत विश्वकर्मा निवासी–रमठा थाना झंगहा जनपद गोरखपुर बताया गया, पकड़े गये व्यक्ति के पास से 02 अदद देशी तमंचा बरामद किया गया। पुलिस टीम द्वारा बरामद 02 अदद तमंचे के संबन्ध में पकड़े गये व्यक्ति से हिकमत अमली से पूँछ–तॉछ करने पर उसके द्वारा बताया गया कि वह अपने साथी जयराम प्रसाद पुत्र स्व0 रामहरथ निवासी–करकोल थाना एकौना जनपद देवरिया के साथ उसके घर पर अवैध शस्त्र का निर्माण कर उन्हें बेचते हैं, जिसपर पुलिस टीम द्वारा पकड़े गये व्यक्ति सोहन विश्वकर्मा उपरोक्त की निशानदेही पर अभियुक्त जयराम प्रसाद उपरोक्त के घर पर घेराबन्दी कर दबिस दी गयी, जहॉ पर एक व्यक्ति द्वारा लोहे को काटने का का काम किया जा रहा था को गिरफ्तार किया गया, मौके से 04 अदद तमंचा 315 बोर, 02 अदद तमंचा 12 बोर, 01 अदद बन्दूक 12 बोर कन्ट्री मेड एक नाली, 01 अदद रिवाल्वर 38 बोर, 01 अदद रिवाल्वर 32 बोर, 01 अदद अर्द्धनिर्मित तमंचा, 02 मैगजीन लोहे की, 02 जिंदा कारतूस 12 बोर, 04 खोखा कारतूस 12 बोर, 2 खोखा कारतूस 315 बोर, कटे हुए बैरल, सड़सी, रेती, प्लास, रूजान, बसूला, आरी, हेक्सा ब्लेड, हथौड़ी, हाथ की ड्रील मशीन, भठ्ठी आदि अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद किये गये। इस प्रकार पुलिस टीम द्वारा दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए अवैध शस्त्र की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया। पुलिस अधीक्षक देवरिया द्वारा पुलिस टीम को 10 हजार रू0 से पुरस्कृत किये जाने की घोषणा की गयी।

बरामदगी का विवरणः–

01.06 अदद तमंचा 315 बोर,
02.02 अदद तमंचा 12 बोर,
03.01 अदद बन्दूक 12 बोर कन्ट्री मेड एक नाली,
04.01 अदद रिवाल्वर 38 बोर,
05.01 अदद रिवाल्वर 32 बोर,
06.01 अदद अर्द्धनिर्मित तमंचा,
07.02 मैगजीन लोहे की,
08.02 जिंदा कारतूस 12 बोर,
09.04 खोखा कारतूस 12 बोर,
10.2 खोखा कारतूस 315 बोर,
11.अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–

01.सोहन विश्वकर्मा पुत्र रामप्रीत विश्वकर्मा निवासी–रमठा थाना झंगहा जनपद गोरखपुर,
02.जयराम प्रसाद पुत्र स्व0 रामहरथ निवासी–करकोल थाना एकौना जनपद देवरिया।

गिरफ्तार मुख्य अभियुक्त सोहन विश्वकर्मा उपरोक्त का आपराधिक इतिहासः–

01.मु0अ0सं0–198/2016 धारा–3/25 आर्म्स ऐक्ट थाना झंगहा जनपद गोरखपुर,
02.मु0अ0सं0–09/2018 धारा–3/25 आर्म्स ऐक्ट थाना बड़हलगंज गोरखपुर,
03.मु0अ0सं0–03/2012 धारा–3/5/25 आर्म्स ऐक्ट थाना झंगहा गोरखपुर,
04.मु0अ0सं0–160/2018 धारा–3(1) गैंगेस्टर ऐक्ट थाना रूद्रपुर देवरिया,
05.मु0अ0सं0–82/2018 धारा–419,420,467,468,272,273 भादसं 60 आबकारी अधि0 व 3/5/7/25/27 आर्म्स ऐक्ट थाना रूद्रपुर देवरिया।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरणः–

01.प्रभारी निरीक्षक अरूण कुमार मौर्य थाना रूद्रपुर देवरिया,
02.उ0नि0 अनिल यादव प्रभारी एसओजी टीम देवरिया,
03.उ0नि0 संतोष सिंह एसओजी टीम देवरिया,
04.मु0आ0 योगेन्द्र कुमार, एसओजी टीम देवरिया,

05.मु0आ0 शिवकुमार शर्मा, थाना रूद्रपुर देवरिया,
06.कां0 राहुल सिंह सर्विलांस सेल देवरिया,
07.कां0 विमलेश सिंह सर्विलांस सेल देवरिया
08.कां0 सुधीर मिश्र सर्विलांस सेल देवरिया
09.कां0 अरूण खरवार, एसओजी टीम देवरिया,
10.कां0 मेराज अहमद एसओजी टीम देवरिया,
11.कां0 धन्नजय श्रीवास्तव एसओजी टीम देवरिया,
12.कां0 प्रशान्त शर्मा एसओजी टीम देवरिया,
13.कां0 सुदामा एसओजी टीम देवरिया,
14.कां0 धर्मेन्द्र थाना रूद्रपुर देवरिया
15.कां0 सुबाष थाना रूद्रपुर देवरिया
16.कां0 रामभुवन थाना रूद्रपुर देवरिया
17.कां0 विश्राम चौहान थाना रूद्रपुर देवरिया
18.कां0 अभय सिंह थाना रूद्रपुर देवरिया

02.शातिर चोर गिरोह के विरूद्ध गैंग पंजीकृत किया गया।

प्रभारी निरीक्षक कोतवाली द्वारा अपनी आख्या के माध्यम से अवगत कराया गया कि गैंग लीडर राजन गोंड़ उर्फ सूरज पुत्र शिवशंकर गोंड़ निवासी–गरूणपार धोबीहट्टा थाना कोतवाली जनपद देवरिया जो अपने सदस्यों राहुल गोंड़ पुत्र रामप्यारे गोंड़ निवासी–गरूणपार धोबीहट्टा थाना कोतवाली जनपद देवरिया एवं अमर गोंड़ पुत्र रामप्यारे गोंड़ निवासी–गरूणपार धोबीहट्टा थाना कोतवाली जनपद देवरिया के साथ मिलकर चोरी/नकबजनी करते हैं, जिनका चोरी व नकबजनी करने का का एक सुसंगठित गिरोह है। अभियुक्त राजन गोंड़ अपने गैंग का लीडर है। इनके द्वारा जनपद देवरिया में चोरी व नकबजनी करने के संबन्ध में थाना कोतवाली पर पंजीकृत मु0अ0सं0–486/2020 धारा–457,380,411 भादंसं, मु0अ0सं0–504/2020 धारा–380,411 भादंसं, मु0अ0सं0–506/2020 धारा–457,380,411 भादंसं, मु0अ0सं0–510/2020 धारा–457,380,411 भादंसं, मु0अ0सं0–380/2020 धारा–380,411 भादंसं पंजीकृत है, जिसमें इन्हें गिरफ्तार कर पंजीकृत उक्त अभियोगों में चोरी हुए माल की बरामदगी पूर्व में की जा चुकी है।

पुलिस अधीक्षक देवरिया डा0 श्रीपति मिश्र द्वारा गैंग लीडर राजन गोंड़ उर्फ सूरज पुत्र शिवशंकर गोंड़ निवासी–गरूणपार धोबीहट्टा थाना कोतवाली जनपद देवरिया एवं उनके सदस्यों राहुल गोंड़ पुत्र रामप्यारे गोंड़ निवासी–गरूणपार धोबीहट्टा थाना कोतवाली जनपद देवरिया एवं अमर गोंड़ पुत्र रामप्यारे गोंड़ निवासी–गरूणपार धोबीहट्टा थाना कोतवाली जनपद देवरिया के विरूद्ध गैंग पंजीकृत कर जनपदीय पुलिस को इनकी निगरानी हेतु निर्देशित किया गया।